

प्रेषक,

चिरंजी लाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण,
सहत्रधारा हैलीझोम—देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

देहरादून: दिनांक 16 अप्रैल, 2018

विषय: श्री केदारनाथ जी व हेमकुण्ड साहिब के लिए हैली शटल सेवा वर्ष 2018 यात्रा
हेतु निविदा प्रक्रिया।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, सहत्रधारा हैलीझोम—देहरादून के पत्र संख्या 40 यूकाडा/हैलीशटलसेवा/2018-19 दिनांक 16 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा श्री केदारनाथ धाम के कपाट दिनांक 29.04.2018 को खुलने के दृष्टिगत अल्पसमय होने के कारण श्री केदारनाथ जी व हेमकुण्ड साहिब के लिए हैली शटल सेवा वर्ष 2018 यात्रा हेतु गतिमान निविदा प्रक्रिया के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के बिन्दु संख्या 20 (सोलह) में शिथिलता प्रदान करते हुए एकल निविदा स्वीकार किये जाने हेतु अथवा पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु नियमावली के बिन्दु संख्या 10(5) के अन्तर्गत दो सप्ताह के स्थान पर शिथिलता प्रदान करते हुए एक सप्ताह की समय सीमा प्रदान किये जाने पर अनुमोदन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में सम्बन्धक विवारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के बिन्दु संख्या 71 (4) में प्रदत्त व्यवस्था के आलोक में शिथिलता प्रदान करते हुए, नियमावली के बिन्दु संख्या 10 (5) के अन्तर्गत पुनः नई निविदा प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित समय—सीमा दो सप्ताह के स्थान पर एक सप्ताह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति के उपरांत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(11/18)

(चिरंजी लाल)

अनु सचिव।

संख्या 244/IX/2018-1 (12) 2018 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(चिरंजी लाल)

अनु सचिव।